



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।
वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक-04/STA-P3-26/2019 परि0- 267

/पटना, दिनांक-14/01/2026

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार एवं दिल्ली राज्य के मध्य बसों के परिचालन हेतु दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक परिवहन समझौता किये जाने से संबंधित प्रस्तावित समझौता का प्रारूप (मार्गों की सूची सहित) पर प्राप्त सुझाव/आपत्ति की सुनवाई हेतु विभागीय पत्रांक-30, दिनांक-02.01.2026 द्वारा दिनांक-05.01.2026 को बैठक की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित की गयी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणवश उक्त बैठक नहीं हो पायी।

उपर्युक्त के संबंध में प्राप्त सुझाव/आपत्ति की सुनवाई हेतु परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-15.01.2026 के पूर्वाह्न 11:00 बजे निश्चित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


सचिव, 14/01/26

राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।